

प्ररूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

129 - सूरसागर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि-

देवेन्द्र जोशी, प्लाट न. 20 हरिओम नगर विस्तार योजना, जोधपुर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान जोधपुर

दिनांक 03.12.2023



(पंकज कुमार)

रिटर्निंग अधिकारी

129-सूरसागर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट),

जोधपुर (उत्तर)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा क्षेत्र (129) सूरसागर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर (उत्तर)

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the 129- Soorsagar Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri DEVENDRA JOSHI, PLOT NO. 20 HARIOM NAGAR VISTAR YOJANA, JODHPUR sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - Jodhpur

Dated – 03-12-2023



(Pankaj Kumar)

Returning Officer,

129-Soorsagar Assembly Constituency

(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate),

Jodhpur (North)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा क्षेत्र (129) सूरसागर एवं

अ. विभाग अधिकारी एवं

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर (उत्तर)